[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 40/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2016

सा0का0नि0 (अ).- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 9 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं0 36/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 26 जून, 2001 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड (3) उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं. 465(अ), तारीख 26 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है,-

उक्त अधिसूचना के अनुच्छेद (3) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना का उद्देश्य के लिए ''निर्दिष्ट सीमा'' का अर्थ होगा,-

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7113 के अंतर्गत आने वाले माल के संदर्भ में, पूरी छूट सीमा;

(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न माल के लिए, पूरी छूट सीमा से साठ लाख रूपये घटाकर ।" ।

[फा. सं. 354/25/2016-टीआरयू (पार्ट-I)]

(अनुराग सहगल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 36/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 26 जून, 2001 द्वारा सा.का.नि. 465(अ), तारीख 26 जून, 2001 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 19/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2016 सा.का.नि. 250(अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम संशोधन किया गया था ।